



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत करतला-सेमीपाली, कोरबा-हाटी, कोरबा-लेमरु एवं लेमरु-लबेद-हाटी के सड़क किनारे राईट ऑफ-वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु संरक्षित वन भूमि रकबा 4.160 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 2.379 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.174 हे कुल रकबा 6.713 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अभिमत से सहमत होते हुए ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 6.713 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 23/08/2023

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(व्ही श्रीनिवास राय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर-492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-914/1988

रायपुर, दिनांक 23/08/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव

छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
 नवा रायपुर

विषय:- कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under Network strengthening and providing connecting to Rural area in Korba District of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 6.713 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत ।

— **पंजीयन क्रमांक — FP/CG/OFC/150589/2021**

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक /तक./2229 दिनांक 02.08.2023

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत करतला-सेमीपाली, कोरबा-हाटी, कोरबा-लेमरू एवं लेमरू-लबेद-हाटी के सड़क किनारे राईट ऑफ-वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु संरक्षित वन भूमि रकबा 4.160 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 2.379 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.174 हे कुल रकबा 6.713 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र- आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कोरबा वन मंडल अंतर्गत करतला-सेमीपाली, कोरबा-हाटी, कोरबा-लेमरू एवं लेमरू-लबेद-हाटी के सड़क किनारे राईट ऑफ-वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु संरक्षित वन भूमि रकबा 4.160 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 2.379 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.174 हे कुल रकबा 6.713 हे. वन भूमि की मांग की गई है।	01
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/150589/2021 आबंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क राशि रुपये 6000 एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि रुपये 29,000 कुल रु. 35,000/- जमा कराया गया है।	02-10
3.	वन क्षेत्र का विवरण:- महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कोरबा वन मंडल अंतर्गत करतला-सेमीपाली, कोरबा-हाटी, कोरबा-लेमरू एवं लेमरू-लबेद-हाटी के सड़क किनारे राईट ऑफ-वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु संरक्षित वन भूमि रकबा 4.160 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 2.379 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.174 हे कुल रकबा 6.713 हे. वन भूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु	11-17

	प्रस्तावित है।	
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण: — ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वन भूमि रकबा 4.987 हे. का ग्रामवार विवरण संलग्न है।	18—19
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर: — प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	20—21
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप: — प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	22
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव: — प्रपत्र 04 में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु परियोजना की लागत रु. 640 लाख बतायी गई है। आवेदक संस्थान ने कथन किया गया है कि कोरबा एवं करतला तहसील अंतर्गत लगभग 52 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे 50,000 आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन—देन में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा।	23—31
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप: — कोरबा वन मंडल अंतर्गत संरक्षित वन भूमि रकबा 4.160 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 2.379 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.174 हे कुल रकबा 6.713 हे. वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। कोरबा जिले के कोरबा एवं करतला तहसील अंतर्गत लगभग 52 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन—देन में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा।	32
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र: — महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कोरबा वन मंडल अंतर्गत करतला—सेमीपाली, कोरबा—हाटी, कोरबा—लेमरू एवं लेमरू—लबेद—हाटी के सड़क किनारे राईट ऑफ—वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु संरक्षित वन भूमि रकबा 4.160 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 2.379 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.174 हे कुल रकबा 6.713 हे. वन भूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में मांग की गई वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।	33
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही: — इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	34
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा: — कोरबा वन मंडल अंतर्गत संरक्षित वन भूमि रकबा 4.160 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 2.379 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.174 हे कुल रकबा 6.713 हे. वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु भाग — II पर वन मंडलाधिकारी कोरबा वन मंडल द्वारा दिनांक 11.07.2023 अनुसार प्रस्ताव की स्वीकृति के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा दिनांक 02.08.2023 से प्रस्ताव में अनुशंसा किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	35—49
12.	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र: — प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	50

13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र— आवेदक संस्थान के कथन अनुसार ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने के प्रकरण में संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।	51
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:- कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत कुल वन भूमि रकबा 213647.000 हेक्टेयर है।	52
15.	व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:- कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृत रकबा 1099.452 हेक्टेयर प्रभावित हो रही है।	53
16.	व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:- व.स.अ.—1980 तहत कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत स्वीकृति प्रकरणों में इसी श्रेणी के कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा 0.650 हे. है।	54
17.	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, कोरबा का प्रतिवेदन संलग्न है।	55
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- आवेदित क्षेत्र के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 26.02.2019 के अनुसार ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वितरित वन अधिकार मान्यता पत्र हेतु कलेक्टर कोरबा को पत्र दिनांक 20.10.2021 द्वारा लेख किया गया है जिसकी पावती अभिस्वीकृति संलग्न है।	56-57
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्ताव में रकबा 0.174 हे. राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कोरबा के पत्र क्रमांक /705/भूअ/व.अधि./2023 दिनांक 14.06.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	58-61बी
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):- आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि 6000/- रुपये डी.डी. क्रमांक 226888 दिनांक 05.01.2022 एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 29000/- रुपये डी.डी. क्रमांक 226889 दिनांक 05.01.2022 इस प्रकार कुल राशि 35000/- रुपये वनमंडलाधिकारी कोरबा के पी.डी खाते में जमा किया गया है।	62
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:- आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	63

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 02 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-
1. प्रस्ताव 02 प्रति में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग-4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.स. द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/ भू-प्रबंध/विविध-ए/115-914/1989
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक /08/2023

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल, कोरबा, छत्तीसगढ़।
3. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.सं (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़